उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 32/2022-23

लखीराम हेम्ब्रम...अपीलकर्त्ता

बनाम

छबिकांत उर्फ करमचन्द्र महतो.......................................उत्तरकारी

आदेश

20.10.2023

यह रे0मि0 अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के रे0मि0 वाद सं0-385/2007-08 में पारित आदेश दिनांक-06.09.2021 के विरूद्ध में दायर किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उल्लेखित मुख्य तथ्य निम्न प्रकार है :-

मौजा राजदाहा अंचल-सरैयाहाट एक प्रधानी मौजा है, उक्त मौजा के अंतिम गैंजर प्रधान नेवाजी महतो थे। उनके मृत्यू के पश्चात् वर्षो तक मौजा खास रहा। ततपश्चात् मौजा के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु उत्तरकारी सरयु यादव पूर्व प्रधान के भतीजा है तथा उत्तरकारी छविकांत उर्फ करम चन्द्र महतो पूर्व प्रधान के नाती है तथा जिन्हें पूर्व प्रधान द्वारा दत्तक पुत्र लिया गया है, के द्वारा निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया एवं अन्य आवेदक भगत हेम्ब्रम द्वारा भी मौजा के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया गया था। अंचलाधिकारी सरैयाहाट से जॉच प्रतिवेदन एवं सोलह आना रैयतों पर निर्गत नोटिस का तामिला प्राप्ति के पश्चात् उत्तरकारी छविकांत उर्फ कर्मचन्द्र महतो को अंतिम प्रधान के नाती एवं दत्तक पुत्र होने के नाते संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा-6 के अन्तर्गत प्रधान पद पर दिनांक-16.07.2010 को नियुक्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध उपायुक्त के न्यायालय में रे0मि0 अपील वाद सं0-39/2010-11 दायर किया गया था। जिसपर तत्कालीन उपायुक्त, दुमका द्वारा दिनांक-04.12.2015 को निम्न न्यायालय के आदेश को विलोपित किया गया तथा निम्न बिन्दुओं पर जॉचोपरांत पुर्नविचार हेतु निम्न न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया :-

(1) उत्तरकारी के नाना नेवाजी महतो मौजा के अंतिम गेंजर प्रधान थे अथवा नहीं?

(2) अंतिम प्रधान द्वारा उत्तरकारी को दत्तक पुत्र लिया गया था अथवा नहीं?

(3) उत्तरकारी मौजा राजदह में निवास करते है अथवा नहीं? यदि नही तो उनके निवास स्थान की दूरी क्या?

इन बिन्दुओ के जॉचोपरांत निम्न न्यायालय द्वारा पुनः उत्तरकारी छविकांत उर्फ करमचन्द्र महतो को मौजा राजदह का संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत प्रधान पद पर बरकरार रखा गया। इस आदेश के विरूद्ध में यह अपील दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का प्रस्तुत तर्क निम्न प्रकार हैः–

उत्तरकारी मौजा राजदह में निवास नहीं करते है। वह मौजा कनकट्टा में निवास करते है जो मौजा राजदह से 5 कि0मि0 की दूरी पर है। उनकी नियुक्ति में मौजा के 16 आना रैयत की सहमति प्राप्त नहीं की गई है। मौजा आदिवासी बाहूल है एवं अपीलकर्त्ता अंतिम प्रधान के वंशज है। अंतिम प्रधान नेवाजी महतो की मृत्यू नावल्द 40 वर्षो के पूर्व हुई है। माननीय आयुक्त के RMA 70/61-62 (विक्रम मरांडी बनाम बेजुन मरांडी एवं अन्य) में पारित आदेशानुसार मौजा को खास मौजा जाना चाहिए किन्तु उत्तरकारी को संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है जो नियम संगत नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क निम्न प्रकार हैः–

उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उत्तरकारी मौजा के अंतिम गेंजर प्रधान नेवाजी महतो का दत्तक पुत्र है। उनका आवसीय मकान कनकट्टा पड़ता है एवं मौजा राजदह का जमाबंदी रैयत है। दोनो सटा हुआ मौजा है। निम्न न्यायालय द्वारा उत्तरकारी को प्रधान पद पर किया गया नियुक्ति सही है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को खारीज किया जाय।

अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित तथ्य निम्न प्रकार है :–

अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश में उल्लेख किया गया है कि उत्तरकारी छविकांत उर्फ करमचन्द्र महतो पूर्व प्रधान स्व0 नेवाजी महतो के नाती है। अंतिम प्रधान नेवानी महतो द्वारा उत्तरकारी छबिकांत उर्फ कर्मचन्द्र महतो को निबंधन कार्यालय, दुमका द्वारा दिनांक–27.02.87 को दत्तक पुत्र लिया गया था। उत्तरकारी छबिकांत उर्फ कर्मचन्द्र महतो मौजा कनकट्टा में निवास करता है। मौजा कनकट्टा एवं राजदह की दूरी एक किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। इसी आधार पर उत्तरकारी को संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम की धारा–6 के अन्तर्गत मौजा राजदह का प्रधान बरकरार रखा गया है।

प्रावधान

Sec-6 Landlord to report the death of village headman. – When the village headman of a village which is not khas dies the landlord of the village shall report the fact within three months of its occurrence to the Deputy Commissioner with a view to the appointment of a village headman in the prescribed manner.

Schedule V of the Santal Parganas Tenancy (Supplementary) Rules, 1950 provide for the rules for the appointment of headmen.

"In appointing headmen the following rules should be taken into consideration:

The headman must be a resident of the village or his permanent home must be within one mile of the village.

The appointments of headmen shall be made in accordance with village customs, and before confirming any appointment, the Deputy Commissioner shall satisfy himself that the candidate is generally acceptable to the raiyats, and an opportunity shall also in every instance, be afforded to the proprietor to object to any candidate."

पुनः यह भी उल्लख है कि:–

"The office of headman being hereditary, the next heir, who is fitted should be headman"

इसी प्रकार से Smt. Swarnlata Devi vrs State of Jharkhand and others, 2003 (3) JLJR 724. के वाद में माननीय उच्च न्यायालय के Division Bench द्वारा स्थापित किया गया है कि :–

"**Section-6** refers to the appointment of a Headman of a village which is not a khas village, by providing that on the death of Headman, the same has to be reported within three month of the death to the Deputy Commissioner with a view to appoint a village Headman in the prescribed manner. It is in this context that the clause in Schedule V are relevant and Clause 4 thereof clearly shows that the next of their of the deceased Headman, unless he is disqualified, shall be the successor Headman of the village. The procedure laid down in Rule 3 of the General Rules is seen to relate to the appointment of Headman on application under section 5 of the Act."

पुनः उक्त वाद में यह भी उल्लेखित है कि :–

"**Section-5** relates to the appointment of village Headman of a *khas* village. In the case on hand, the village is not *khas* village. Therefore, the office of the Pradhan, Prima facie, is hereditary in nature and the next heir who is fit, is entitled to be the headman, But Rule 3(5) of the General Rules prescribes that in making the appointment of a Headman under section 5 or 6 of the Act, the Deputy Commissioner shall ,as far as, possible, follow the rules prescribed in Schedule V except where the rules, of which clasue 3 forms a part, expressly or by necessary implication, provides otherwise."

निष्कर्ष

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन के पश्चात् सरैयाहाट अंचल अन्तर्गत मौजा–राजदाह एवं कनकट्टा के दूरी के संबंध में इस कार्यालय के ज्ञापांक–103/डी0बी0 दुमका दिनांक–06.10.2023 के द्वारा अंचल अधिकारी, सरैयाहाट से प्रतिवेदन की मांग की गई। तत्पश्चात् अंचल अधिकारी, सरैयाहाट ने अपने पत्रांक–815/रा0 दिनांक–14.10.2023 के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित करते हुए यह स्पष्ट किया है कि मौजा राजदाह एवं कनकट्टा के सीमाना सटा हुआ है।

ततकालीन उपायुक्त, दुमका का न्यायालय के वाद सं0–R.M.A 39/2010-11 में दिनांक–04.12.2015 को पारित आदेश के आलोक में अंचल अधिकारी, सरैयाहाट से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् निम्न न्यायालय द्वारा उत्तरकारी के प्रधान पद को बरकरार रखे जाने का आदेश सही प्रतीत होता है तथा अपीलकर्त्ता का आवेदन खारीज करने योग्य है।

आदेश

उल्लेखित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों के आलोक मे निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को खारीज किया जाता है।

इसी समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखाप्रित एवं संशोधित

20/10/23

उपायुक्त,
दुमका।

20/10/23

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by Anjaneyulu Dodde
Date: 2023.11.21 16:36:01 +05:30
Location: 169.254.227.244